न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/116/2018	26—06—2018	24—01—2019

01—जाकर पुत्र भूरू जाति मेव निवासी ग्राम मांदला खुर्द, तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज।

अपीलाण्ट

बनाम

01—नायब तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 28.03.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 164/2018

उपस्थितः—

01—श्री जनार्दन शर्मा —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 28.03.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मांदला खुर्द की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 425/2.43 है0 में से 0.20 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एव अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मांदला खुर्द की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 425/2.43 है0 में से 0.20 है0 पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 27.02.2018 में अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध दिनांक 26.06.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया। जिससे जाहिर होता है कि पटवारी हल्का के बयान छपे—छपाये साईक्लोस्टाईल प्रोफॉर्मा में लिये गये है। जिससे यह प्रतीत होता है कि विवादित आराजी की वस्तुस्थिति को नही दर्शाकर केवल मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। नायब तहसीलदार रामगढ द्वारा आदेश जारी करते समय विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट नायब तहसीलदार रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी का सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वो दिनांक 20.02.2019 को नायब तहसीलदार रामगढ के न्यायालय में उपस्थित होवें। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट की तामील मानी जावेगी।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24—01—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)
R (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)